न्यायालय अपर जिला कलक्टर एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारीः– उम्मेदीलाल मीना आर.ए.एस.

अपील सं. 13 / 2024
स्टेट जरिये प्रवर्तन अधिकारी हनुमानगढ

प्रार्थी

बनाम

राजेन्द्र पुत्र दानाराम मामा–भान्जा होटल कोहला, तहसील एवं जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थी

अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ (राज0)

मुकदमा अन्तर्गत धारा 6 ए ई0सी एक्ट

उपस्थितः–1 श्री शिवराज सिंह बराड़ राजकीय अधि0।
2 अप्रार्थी अनुपस्थित।

–ःनिर्णयः–

दिनांकः–29.11.2024

राजस्थान राज्य जरिये प्रवर्तन अधिकारी हनुमानगढ द्वारा यह प्रकरण प्रस्तुत किया गया। जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 23.09.2024 को बाबूलाल जानू प्रवर्तन अधिकारी, जिला रसद कार्यालय, हनुमानगढ़ हमराह पुरूषोत्तम प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा घरेलू गैस के व्यावसायिक उपयोग की जांच बाबत् में रोड़वेज बस स्टेण्ड के पास हनुमानगढ टाउन में मामा–भान्जा होटल पर पहुंच कर जांच की गई। मौके पर उपस्थित श्री राजेन्द्र पुत्र दानाराम ने स्वयं को उक्त होटल का मालिक बताया तथा मौके पर उपस्थित रहकर जांच करवायी। जांच के दौरान दो घरेलू गैस सिलेण्डर बर्नर से जुड़े पाये गये तथा चालू हालत में पाये गये। पूछताछ में बताया कि मिठाई तैयार कर विक्रय किया जाता है तथा विक्रय की गई सामग्री का मूल्य वसूल किया जाता है। इस प्रकार घरेलू गैस का व्यावसायिक उपयोग करना पाया गया जो कि द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (रेग्युलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आदेश, 2000 के क्लॉज 3 (1) (ग) का उल्लंघन पाया गया जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः मौके पर पाये गये इण्डेन कम्पनी के 2 घरेलू गैस सिलेण्डर जब्त किये गये तथा उक्त जब्तशुदा सिलेण्डर श्री मनीराम प्रबंधक, प्रियाश्री गैस एजेंसी, संगरिया की सुपुर्दगी में दिये गये। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त 2 घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात [illegible]

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को धारा 6बी आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत नोटिस जारी किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Umedi Lal Meena
Date: 2024.12.09 15:46:02 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थी को रजिस्टर्ड डाक से दिनांक [illegible]0.2024 को नोटिस जारी [illegible] जिसे एक माह से अधिक अवधि हो चुकी है, अतः तामील होना मानी जाती है। अप्रार्थी अनुपस्थित।

अपर जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़

राजकीय अभिभाषक ने एकपक्षीय बहस में कथन किया है कि प्रवर्तन अधिकारी हनुमानगढ द्वारा मौके पर पाये गये इण्डेन कम्पनी के 2 घरेलू गैस सिलेण्डर जब्त किया गया है। घरेलू गैस का व्यावसायिक उपयोग करना पाया गया जो कि द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (रेग्युलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आदेश, 2000 के क्लॉज 3 (1) (ग) का उल्लंघन पाया गया जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दण्डनीय अपराध है। उक्त 2 घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात करने के आदेश फरमावें।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया किः–

1. स्टेट जरिये प्रवर्तन अधिकारी हनुमानगढ द्वारा जब्ती के समय मौके पर इण्डेन कम्पनी के 2 घरेलू गैस सिलेण्डर जब्त किया गया है। घरेलू गैस का व्यावसायिक उपयोग करना पाया गया है।
2. अप्रार्थी द्वारा जांच अधिकारी को वरवक्त निरीक्षण मौके पर अप्रार्थी के पास वैद्य दस्तावेज नहीं होना तथा वाणिज्यिक परिसर से दौराने घरेलू गैस का व्यावसायिक उपयोग करना पाया गया जो कि द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (रेग्युलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आदेश, 2000 के क्लॉज 3 (1) (ग) का उल्लंघन पाया गया जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दण्डनीय अपराध है। जिसके लिए अप्रार्थी अवैध भण्डारण व कारोबार का दोषी है।

अतः जब्तशुदा इण्डेन कम्पनी के 2 घरेलू गैस सिलेण्डर (गैस की मात्रा 9.9 किग्रा) को राज्य के पक्ष में राजसात (Confiscate) किया जाता है।

जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ को निर्देशित किया जाता है कि निस्तारण से प्राप्त राशि को राज्य के राजकोष में जमा कर चालान नम्बर व दिनांक सहित पालना रिपोर्ट 15 दिवस में इस न्यायालय को प्रस्तुत करें।

निर्णय आज दिनांक 29.11.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अपर जिला कलक्टर (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Umedi Lal Meena
Date: 2024.12.09 15:46:02 IST
Reason: SelfAttested

(…लाल मीना)
अपर … कलक्टर एवं
… हनुमानगढ
अपर जिला … हनुमानगढ